

28 JAN 2025

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (ख-3) विभाग

क्रमांक : प.16(1) कार्मिक/ख-3/2021

जयपुर, दिनांक: 22.01.2025

-: आदेश :-

इस विभाग के आदेश क्रमांक प0 2(3)कार्मिक/ख-3/1980 दिनांक 12.06.2013 के अधिक्रमण में सचिवालय में पदस्थापित अधिकारिगणों को चाय/कॉफी का कच्चा सामान स्थानीय बाजार से क्रय कर अपने कक्ष में चाय/कॉफी तैयार करवाने पर निम्नानुसार राशि पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | अधिकारी                                                                       | भुगतान योग्य राशि मासिक रूपये |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री एवं समकक्ष तथा मुख्य सचिव            | असीमित                        |
| 2       | अति० मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल/प्रमुख शासन सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष  | 3500.00                       |
| 3       | शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव तथा उनके समकक्ष अधिकारी/अध्यक्ष, बिक्रीकर अधिकरण | 2500.00                       |
| 4       | संयुक्त शासन सचिव, शासन उप सचिव एवं समकक्ष अधिकारिगण                          | 1500.00                       |

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई० डी० संख्या 102401039 दिनांक 20.01.2025 के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह आदेश दिनांक 01.02.2025 से प्रभावी होगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

sd/  
शासन सचिव  
कार्मिक विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव एवं समकक्ष।
4. मुख्य सचिव महोदय।
5. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
8. वित्तीय सलहकार, कार्मिक विभाग।
9. शासन उप सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय
10. प्रंजीयक शासन सचिवालय, जयपुर।
11. शासन सचिवालय जयपुर के समस्त अनुभाग।
12. अध्यक्ष, राजस्थान सचिवालय अधिकारी संघ/सचिवालय सेवा निजी सचिव एवं निजी सहायक संघ/सचिवालय कर्मचारी संघ/सचिवालय तकनीकी कर्मचारी संघ/सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ।
13. नोटिस बोर्ड।

शासन उप सचिव  
कार्मिक (ख) विभाग